न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—111/2024 विविध धारा 235 राज. काश्तकारी अधि.

बन्तो देवी पत्नी स्व. जसराम जाति अराई सिख निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार(राजस्व), संगरिया जिला हनुमानगढ़

——अप्रार्थीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बन्तो देवी बनाम काका खां आदि प्रकरण संख्या 17/2022 को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी में विचाराधीन मूल वाद सं. 118/2023 के साथ मुन्तकिल बाबत।

उपस्थितः—1. श्री नवदीप कड़वासरा अधिवक्ता—प्रार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.09.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एवं एक प्रार्थना पत्र रास्ता हेतु 251 (ए) राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के खिलाफ स्थगन आदेश वास्ते 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया द्वारा श्रीमानजी के समक्ष पूर्व में मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया के सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष विचाराधीन वाद कमांक 118/2023 एवं संलग्न प्रार्थना पत्र 47/2022 का सहायक कलेक्टर संगरिया के न्यायालय से किस अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को दावा मुंतकिल करने पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया लेकिन किसी भी पक्षकार द्वारा उपरोक्त प्रकरणों को सहायक सहायक कलेक्टर एवं एसडीएम, संगरिया के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का विरोध नहीं करने के कारण श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थिया का मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 1.5.2024 निर्णय प्रकरण सं. 47/2024 पारित कर श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष विचाराधीन वाद 118/2023 अनवान बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 53 एवं एवं संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र 47/2022 बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 251 ए को श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को मुंतकिल कर विधि सम्मत कार्यवाही करने का आदेश पारित किये। उपरोक्त प्रकरण सं. 47/2024 पारित कर श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष विचाराधीन वाद 118/2023 अनवान बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 53 एवं एवं संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र 47/2022 बंतो देवी बनाम काका खां के साथ—साथ प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र क्रमांक सं. 17/2022 बंतो देवी बनाम काका खां आदि अंतर्गत धारा 251 ए भी मुंतकिल करवाना चाहती थी लेकिन भूलवश पूर्व में मुंतकिल प्रार्थना पत्र में इस प्रार्थना पत्र का जिकर करना सहवन से रह गया था एवं प्रार्थिया से यह अहम भूल हुई है एवं प्रार्थिया इसी भूल को स्वीकार करते हुए भूलवश से प्रार्थना पत्र क्रमांक 17/2022 बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 251ए को मुंतकिल करवाने के लिए पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न आधारों पर मुंतकिल करवाना चाहती है—

(क) श्रीमान न्यायालय जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 निर्णय प्रकरण सं. 47/2024 पारित कर श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष विचाराधीन वाद 118/2023 अनवान बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 53 एवं संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर, हनुमानगढ

47/2022 बंतो देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 251 ए को श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को मुंतकिल हो चुके हैं एवं एक प्रार्थना पत्र कमांक 17/2023 बंतो देवी बनाम काका खां आदि अंतर्गत धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष जैरकार होने के कारण एक ही विषयवस्तु के प्रकरण अलग–अलग न्यायालयों में जैरकार होने से अलग–अलग निर्णय आने की संभावना है एवं न्यायालय को न्याय करने में भी मुश्किल का सामना करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता एवं नैसर्गिक न्याय के हित में होने के कारण प्रार्थिया न्याय की हद तक पहुंचने के लिए प्रार्थना पत्र 17/2022 अन्तर्गत धारा 251 (ए) बन्तो देवी बनाम काका खां आदि को पूर्व अनुसार सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से सहायक कलेक्टएवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को किये गये प्रकरणों के साथ प्रार्थना पत्र 17/2022 अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां को न्याय पाने के लिए मुंतकिल करवाने की अधिकारी है।

(ख) प्रार्थिया के एक ही विषयवस्तु के स्थगन प्रार्थना पत्र एवं रास्ता प्रकरण अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थिया को एक ही विषयवस्तु के अलग–अलग प्रकरणों में अलग–अलग न्यायालयों में हाजिर होकर अलग–अलग वकीलों की नियुक्ति करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थिया अनावश्यक रूप से परेशान एवं अनावश्यक रूप से धनराशि खर्च होगी, इसी कारण से प्रार्थिया प्रार्थना पत्र 17/2022 अनवान अन्ता देवी बनाम काका खां को न्याय पाने के लिए मुंतकिल करवाने की अधिकारी है।

पूर्व में श्रीमान न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र में सहायक कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण 17/2022 को अप्रार्थीगण के रूप में संयोजित नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा मूल वाद पत्र सं. 118/2023 अंतर्गत धारा 53(ए) एवं स्थगन प्रार्थना पत्र 47/2022 अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि में प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी सं. 1 ता 23 ने नोटिस प्राप्त होने के बाद कोई विरोध जाहिर नहीं किया। न्यायालय के समक्ष हाजिर ना होकर गुप्त रूप से सहमति प्रदान की है एवं उपरोक्त कोई विरोध नहीं किया गया है जिस कारण वर्तमान में कोई विरोध न होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमेय क्षति का सिद्धांत तीनों बिंदु प्रार्थिया के पक्ष में है एवं प्रार्थिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं. 17/2022 बन्ता देवी बनाम काका खां अंतर्गत धारा 251ए को सहायक कलेक्टर एवं एसडीएम, टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद 18/2023 बन्तो देवी बनाम काका खां आदि अंतर्गत धारा 53 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र 47/2022 अंतर्गत धारा 151 सीपीसी के साथ मुंतकिल करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व अप्रार्थीगण से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 01 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई, के अनुसार न्यायालय में विचाराधीन प्र. सं. 118/2023 अंतर्गत धारा 53 एवं प्र. सं. 47/2022 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि को श्रीमानजी के निर्णय दिनांक 01.05.2024 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को स्थानान्तरित किये जा चुके है। प्रार्थीया प्र. सं. 17/2022 बन्तोदेवी बनाम काका खां प्रार्थना प. 251–ए आरटीए को भी स्थानान्तरित करवाना चाहती है। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 02 द्वारा भी उक्त प्रासंगिक प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान जी के आदेश दिनांक 01.05.2024 से निर्णय प्रकरण सं. 47/2024 पारित कर श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्र. सं. 118/2023 अंतर्गत धारा 53 एवं प्र. सं. 47/2022 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि को श्रीमानजी के निर्णय दिनांक 01.05.2024 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को स्थानान्तरित किये जा चुके है एवं एक प्रार्थना पत्र प्र. सं. 17/2022 बन्तोदेवी बनाम काका खां प्रार्थना प. 251–ए आरटीए को श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष जैरकार होने के कारण एक ही विषयवस्तु के प्रकरण अलग–अलग न्यायालयों में जैरकार होने से अलग–अलग निर्णय आने की संभावना है एवं न्यायालय को न्याय करने में भी मुश्किल का सामना करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता एवं नैसर्गिक न्याय के हित में होने के कारण प्रार्थीया न्याय की हद तक पहुंचने के लिए प्रार्थना पत्र 17/2022 अन्तर्गत धारा 251(ए) बन्तो देवी बनाम काका खां आदि को पूर्व अनुसार सहायक कलेक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीया प्र. सं. 17/2022 बन्तोदेवी बनाम काका खां प्रार्थना प. 251–ए आरटीए को भी स्थानान्तरित करवाना चाहती है। उक्त प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 17/2022 बन्तोदेवी बनाम काका खां प्रार्थना प. 251–ए आरटीए को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली के अवलोकन अनुसार इस न्यायालय के प्रकरण सं. 47/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्र. सं. 118/2023 अंतर्गत धारा 53 एवं प्र. सं. 47/2022 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी अनवान बन्तो देवी बनाम काका खां आदि को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को पूर्व में स्थानान्तरित किये जा चुके है एवं प्रार्थीया का एक प्रार्थना पत्र प्र. सं. 17/2022 बन्तोदेवी बनाम काका खां प्रार्थना प. 251–ए आरटीए न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष जैरकार होने व एक ही विषयवस्तु के प्रकरण अलग–अलग न्यायालयों में जैरकार होने से अलग–अलग निर्णय आने की संभावना है एवं न्यायालय को न्याय करने में भी मुश्किल का सामना करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता एवं नैसर्गिक न्याय के हित में होने के कारण प्रार्थीया के विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रकरण सं. 17/2022 अनवान बन्तोदेवी बनाम काका खां को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को स्थानान्तरित किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को शीघ्र भिजवाये। आदेश की प्रति सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 25/9/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़